

Conduct Rule

1. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to taking part in politics.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम राजनीति में हिस्सा लेने से संबंधित है :-

A. 2 C. 4
B. 3 D. 5

2. Which Rule of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is related to connection with Press/Radio, Media, etc.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम प्रेस / रेडियो, मीडिया इत्यादि से संबंधित है

A. 5 C. 7
B. 6 D. 8

3. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to unauthorised communication of information.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम सूचना के अनधिकृत संचार से संबंधित है

A. 10 C. 12
B. 11 D. 13

4. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to raising fund by Railway Servant.

रेलवे सेवा नियम 1966 का नियम रेलवे सेवक द्वारा फंड जुटाने से संबंधित है

A. 10 C. 12
B. 11 D. 13

5. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to acceptance of Gift by Railway Servant.

रेलवे सेवा नियम 1966 का नियम रेलवे सेवक द्वारा उपहार की स्वीकृति से संबंधित है।

A. 12 C. 14
B. 13 D. 15

6. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to Private employment or business by Railway Servant.

रेलवे सेवा नियम 1966 का नियम रेलवे सेवक द्वारा निजी रोजगार या व्यवसाय से संबंधित है

A. 12 C. 14
B. 13 D. 15

7. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to transaction of moveable properties.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम चल संपत्ति के लेन-देन से संबंधित है

A. 16 C. 18
B. 17 D. 19

8. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to influence by Railway servant regarding service condition from official or otherwise.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम सरकारी या अन्यथा से सेवा शर्त के बारे में रेलवे सेवक द्वारा प्रभावित करने से संबंधित है

- A. 18 C. 20
B. 19 D. 21

9. Which Rule of Service conduct is related to taking part in election .

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम किसी भी रेल कर्मचारी के चुनाव में भाग लेने से संबंधित है

- A. 2 C. 4
B. 3 D. 5

10. According to Rule -5 of Conduct Rules, Railway Servant.

आचरण नियमों के नियम -5 के अनुसार, रेलवे सेवक

- A. किसी भी राजनितिक दल का सदस्य हो सकता C. A और B दोनों सही हैं
B. किसी भी राजनितिक दल का सदस्य नहीं हो सकता D. इनमे से कोई नहीं

11. According to Rule 6 Railway Servants.

आचरण नियमों के नियम -6 के अनुसार, रेलवे सेवक

- A. सार्वजनिक हित में सरकार की आलोचना कर सकते हैं C. A और B दोनों सही हैं
B. किसी भी मामले में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते D. इनमे से कोई नहीं

12. According to Rule 13 Group "A" officer on special occasions can accept Gift and report to Govt. In case amount exceeding.

रेलवे के आचरण नियम -13 के अनुसार ग्रुप "ए" अधिकारी विशेष अवसरों पर उपहार राशि स्वीकार कर सकते हैं और मामले में सरकार को रिपोर्ट कर सकते हैं, यदि वह राशि.....से अधिक ना हो :

- A. 2000 C. 2 माह का मुल वेतन
B. 5000 D. इनमे से कोई नहीं

13. According to Rule 13 A of Services Conduct Rules a Railway servant

रेलवे के आचरण नियम -13 A के अनुसार एक रेलवे सेवक

- A. दहेज़ नहीं ले सकता है C. A और B दोनों सही हैं
B. . दहेज़ ले सकता है D. इनमे से कोई नहीं

14. According to Rule 19, if a Railway Servant desires to file a defamation suit in his private capacity, he is.

नियम -19 के अनुसार, यदि कोई रेलवे सेवक अपनी निजी क्षमता में मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता है, तो उसे.....

- A. सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है C. A और B दोनों सही है
B. सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक नहीं है D. इनमें से कोई नहीं

15. Rule No. --- of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to Prohibition of sexual harassment of working women.

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम संख्या कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है।

- A. 3(A) C. 3(C)
B. 3(B) D. इनमें से कोई नहीं

16. According to Rule ---- No Railway servant shall engage himself or participate in any demonstration.

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का Rule No. के अनुसार कोई भी रेलवे सेवक स्वयं को शामिल नहीं करेगा या किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा

- A. 5 C. 7
B. 6 D. इनमें से कोई नहीं

17. According to Rule ---- No Railway servant shall except with the prior sanction of the Govt. Connect with press, Radio, TV, editing a news paper or published a book and other media except in literary, artistic and scientific matter.

रेलवे सेवा नियम संख्या के अनुसार कोई भी रेलवे सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न से नहीं जुड़ेगा।

- A. 6 C. 8
B. 7 D. 9

18. According to Rule 15 ----

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 15 के अनुसार एक रेल सेवक

- A. दहेज़ ना ले सकता है और ना ही दे सकता है C. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न हो सकता है
B. कोई उपहार नहीं ले सकता है D. इनमें से कोई नहीं

19. Rule No. --- of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to Subletting and vacation of Government accommodation :-

रेलवे सेवा नियम सं सरकारी आवास की सफाई और छुट्टी से संबंधित है ।

- A. 12 (A) C. 15 (A)
B. 13 D. 16

20. According to Rule No. --- of Railway Service(Conduct) Rules 1966, No Railway employee shall speculate in any stock share or other investment.

रेलवे सेवा नियम सं के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी शेयर या अन्य निवेश में भागीदारी नहीं करेगा ।

- A. 15 C. 17
B. 16 D. 20

21. Rule No. --- of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to transaction of valuable Properties.

रेलवे सेवा (आचरण) नियम 1966 का नियम संख्या मूल्यवान संपत्तियों के लेन-देन से संबंधित है

- A. 16 C. 18
B. 17 D. 19

22. According to Rule---- Every Railway servant holding Group "A" or Group "B" post shall submit an annual return in a prescribed form.

रेलवे सेवा (आचरण) नियम के अनुसार समूह "ए" या समूह "बी" पद धारण करने वाला प्रत्येक रेलवे सेवक निर्धारित फॉर्म में वार्षिक रिटर्न जमा करेगा।

- A. 18 C. 20
B. 19 D. इनमे से कोई नहीं

23. According to Rule 22(A) ----

नियम- 22 (A) के अनुसार कोई भी रेल सेवक

- A. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को कार्य पर नहीं लगा सकते है C. A और B दोनों सही है
B. प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता D. इनमे से कोई नहीं

24. According to Rule---- Restriction in Relation to acquisition & disposal of immovable property outside India and transaction with foreigners.

भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान के संबंध में प्रतिबंध और विदेशियों के साथ लेन-देन से संबंधित मामला, रेलवे के आचरण नियम सं. में अंकित है ।

- A. 18 C. 19
B. 18(A) D. 20

25. According to Railway Service(Conduct) Rules 1966 Rule -13, Railway servant holding any Group-C post may accept gifts from his near relatives, but shall report to the Government if the value of any gift exceeds :-

रेलवे के नियम 1966 के नियम -13 के अनुसार, किसी भी ग्रुप-सी पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी उपहार का मूल्य से अधिक हो तो सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

- A. 1000/- C. 4000/-
B. 2000/- D. 7000/-

26. According to Railway Service(Conduct) Rules 1966 -3(A) ----
रेलवे सेवा आचरण नियम 3 (A) संबंधित है

- A. रेलवे कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में विनम्र तरीके से काम करेगा
B. रेलवे नौकर आदतन ऋणग्रस्तता या दिवालियेपन से बचने के लिए अपने निजी मामलों का प्रबंधन करेगा
C. A और B दोनों सही है D. इनमे से कोई नहीं

27. According to Railway Service(Conduct Rules 1966) --- Restrictions regarding Marriage
रेल कर्मचारियों के विवाह के संबंध में प्रतिबंध संबंधित जानकारी, रेलवे सेवा आचरण नियममें अंकित है ।

- A. 15 C. 20
B. 17 D. 21

28. According to Railway Service(Conduct Rules 1966) --- A Railway servant shall strictly abide by the law relating to intoxicating drinks or drug during the course of his duties
रेलवे सेवा आचरण नियम सं.के अनुसार एक रेलवे सेवक अपने कर्तव्यों के दौरान पेय या नशीले पदार्थों से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करेगा।

- A. 20 C. 22
B. 21 D. 23

29. Which Rule of Railway Service(Conduct) Rules 1966 is related to conduct of a Railway Servant in relation to the proper maintenance of his family.

रेलवे सेवा का कौन सा नियम 1966 हमें अपने परिवार के उचित रखरखाव/देख-भाल के संबंध में रेलवे सेवक से संबंधित है ?

- A. 3 C. 5
B. 4 D. 6

30. Which Rule of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is related to Observe the Government's policies regarding prevention of crime against women.

कौन सा नियम (रेलवे सेवा आचरण नियम 1966) महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के बारे में सरकार की नीतियों का पालन करने से संबंधित है?

- A. 3(A) C. 3(C)
B. 3(B) D. इनमे से कोई नहीं

36. According to Railway Service(Conduct) Rules 1966 Rule -13, Railway servant holding any Group-“A” & “B” post may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, if the value of any gift exceeds :-

रेलवे सेवा नियमों के अनुसार, किसी भी ग्रुप-ए और बी पद पर रहने वाले रेलवे सेवक को उसके दोस्तों से उपहार स्वीकार हो सकते हैं, अगर उसके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं है, अगर उस उपहार का मूल्य से अधिक हो :-

- A. 500/- C. 2000/-
B. 1000/- D. इनमे से कोई नहीं

37. According to Railway Service(Conduct) Rules 1966 Rule -13, Railway servant holding any Group-“C” & “D” post may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, if the value of any gift exceeds :-

रेलवे सेवा नियमों के अनुसार, किसी भी ग्रुप-C और D पद पर रहने वाले रेलवे सेवक को उसके दोस्तों से उपहार स्वीकार हो सकते हैं, अगर उसके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं है, अगर उस उपहार का मूल्य से अधिक हो :-

- A. 100/- C. 500/-
B. 200/- D. इनमे से कोई नहीं

38. According to Railway Service(Conduct) Rules 1966 Rule -13, Railway servant holding any Group-A post may accept gifts from his near relatives, but shall report to the Government if the value of any gift exceeds :-

रेलवे सेवा नियमों के आलोक में Rule no. -13 के अनुसार , किसी भी ग्रुप-ए के पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उपहार का मूल्य से अधिक होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

- A. 1000/- C. 4000/-
B. 2000/- D. 7000/-

39. According to Railway Service(Conduct) Rules 1966 Rule -13, Railway servant holding any Group-D post may accept gifts from his near relatives, but shall report to the Government if the value of any gift exceeds :-

रेलवे सेवा नियमों के आलोक में Rule no. -13 के अनुसार , किसी भी ग्रुप-D के पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उपहार का मूल्य से अधिक होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

- A. 1000/- C. 4000/-
B. 2000/- D. 7000/-

40. Which Rule of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is describing that -No Railway employee shall except Hold an elective office, or canvass for a candidate for an elective office.

रेलवे सेवा का कौन सा नियम वर्णन वर्णन करता है कि- कोई भी रेलवे कर्मचारी एक वैकल्पिक कार्यालय के लिए, या एक उम्मीदवार के लिए चुनाव नहीं कर सकता है।

- A. 12 C. 14
B. 13 D. 15

41. Which Rule of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is describing that -No Railway employee shall make or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to make any investment, which is likely to embarrass or influence him in reserved.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम यह वर्णन करता है कि - कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कोई निवेश करने या करने की अनुमति नहीं देगा, जिसके कारण उसे शर्मिंदा करने या प्रभावित करने की संभावना है।

- A. 16 C. 18
B. 17 D. 19

42. Which Rule of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is describing that -No Railway employee shall , save in the ordinary course of business with a bank or a public limited company.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम वर्णन करता है कि - कोई रेलवे कर्मचारी, बैंक या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के साथ व्यापार के सामान्य में बचत नहीं करेगा।

- A. 10 C. 15
B. 11 D. 16

43. Which Rule of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is describing that –Supervisory staff of Group “C the maximum of which is Rs. 900/- and above, should also submit an annual return regarding the immovable property inherited by him.

रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम वर्णन करता है कि - ग्रुप-सी का पर्यवेक्षी कर्मचारी द्वारा, उसके द्वारा विरासत में मिली अचल संपत्ति के बारे में एक वार्षिक रिटर्न भी प्रस्तुत करना चाहिए।

- A. 17 C. 19
B. 18 D. 20

44. Which Rule of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is related to Vindication of Acts and character of Railway servant.

1966 के रेलवे सेवा नियमों का कौन सा नियम अधिनियमों के प्रतिशोध और रेलवे सेवक के चरित्र से संबंधित है?

- A. 19 C. 21
B. 20 D. इनमें से कोई नहीं

45. Rule 22 of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is related to :-
रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम -22 किससे संबंधित है :-

- A. सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए
B. रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्यों के दौरान नशे या ड्रग से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करेगा
C. A और B दोनों सही हैं
D. इनमें से कोई नहीं

46. Which Rule of Railway Service (Conduct) 1966 every Railway servant who is in charge of a work place shall take appropriate steps to prevent the commission of such act of sexual harassment of women at such work place.

रेलवे सेवा नियम 1966 के किस नियम के अनुसार - प्रत्येक रेलवे सेवक जो कार्य स्थल का प्रभारी है, ऐसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के इस तरह के कार्य को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

- A. 3(A) C. 3(C)
B. 3(B) D. इनमें से कोई नहीं

47. Which Rule of Railway Service (Conduct) 1966 every Railway servant who is in charge of a work place shall take appropriate steps to prevent the commission of such act of sexual harassment of women at such work place.

रेलवे सेवा नियम 1966 के किस नियम का वर्णन है कि - कोई भी ग्रुप-ए अधिकारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपने बेटे, बेटी या अन्य आश्रित को किसी कंपनी या फर्म में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

- A. 3 C. 5
B. 4 D. इनमें से कोई नहीं

48. Which Rule of Railway Service (Conduct) 1966 Every Railway servant shall, in the performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the right to information Act, 2005 and the rules made there under.

रेलवे सेवा नियम 1966 के किस नियम का वर्णन है कि - प्रत्येक रेलवे सेवक, सद्भाव के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति से सूचना का संचार करेगा।

- A. 9 C. 12
B. 11 D. 20

49. Rule 14 of Railway Service (Conduct) Rules 1966 is related to :-

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम -14 किससे संबंधित है :-

- A. दहेज़ लेने या देने संबंधी मामलों से C. चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति
B. रेलवे सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन D. इनमें से कोई नहीं

50. According to Railway Service(Conduct) Rules 1966 Rule -13, Railway servant holding any Group-B post may accept gifts from his near relatives, but shall report to the Government if the value of any gift exceeds:-

रेलवे सेवा नियमों के आलोक में Rule no. -13 के अनुसार , किसी भी ग्रुप-B के पद पर रहने वाले रेलवे सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी उपहार का मूल्य से अधिक होने पर सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

- A. 4000/- C. 10000/-
B. 7000/- D. इनमें से कोई नहीं

51. Which Rule of Railway Service (Conduct) 1966, Every Railway servant shall at all time Maintain absolute integrity ?

रेलवे सेवा आचरण नियम सं. कहता है कि, हर रेल सेवक को हर समय पूर्ण निष्ठा बनाए रखना चाहिए :-

- A. 3 C. 5
B. 4 D. इनमे से कोई नहीं

52. Which Rule of Railway Service (Conduct) 1966, A Railway servant who has married or marries a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Government.

रेलवे सेवा नियमों के आलोक में Rule no. के अनुसार, एक रेल सेवक जिसने भारतीय राष्ट्रियता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शादी की है या शादी कर रहा है, इस तथ्य को सरकार को बताएगा

- A. 20 C. 22(A)
B. 21 D. इनमे से कोई नहीं

53. Which Rule of Railway Service(Conduct) 1966 is describe i.e. A Railway servant shall after the cancellation of his allotment of Govt. Accommodation vacate the same within the time limit prescribed by the allotting authority.

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के आलोक में किस नियम में यह वर्णित है कि एक रेलवे सेवक को सरकारी आवास आवंटित करने के आवंटन के रद्द होने के बाद आवंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही खाली कर दिया जाएगा

- A. 12 (A) C. 15(A)
B. 13 D. 16

54. Which rule of R.S.C rules 1966 is related to Cruelty to animals.

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम पशु से क्रूरता से संबंधित है ।

- A. 3(A) C. 3(C)
B. 3(B) D. 4

55. Which rule of R.S.C rule 1966 is related to preservation of environment protection & wild life.

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन के संरक्षण से संबंधित है

- A. 3 (C) C. 3(B)
B. 4 D. 3 (A)

56. Which rule of R.S.C rule 1966 is related to Preservation of Cultural Heritage.

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है :-

- A. 4 C. 3 (A)
B. 5 D. 3 (B)

57. Which rule of R.S.C rule 1966 is related to Canvass in Support of any business of insurance agency

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम बीमा एजेंसी के किसी भी व्यवसाय के समर्थन में वोट मांगने से संबंधित है :-

- A. 13 C. 15
B. 14 D. 16

58. Which rule of Railway Service rule 1966 is related to take part in the registration, promotion or management of any bank .

रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम किसी भी रेल सेवक द्वारा किसी भी बैंक के पंजीकरण, पदोन्नति या प्रबंधन में भाग लेने से संबंधित है।

- A. 15 C. 17
B. 16 D. 18

59. According to Railway Service(Conduct Rules 1966) --- No Railway servant shall except with the previous knowledge of the Government acquire or dispose any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any members of his family.

रेलवे सेवा आचरण नियम सं.के अनुसार कोई भी रेलवे सेवक पट्टे पर ली गई, गिरवी, खरीद, बिक्री, उपहार या फिर अपने नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं करेगा।

- A. 15 C. 17
B. 16 D. 18

60. According to Railway service (conduct) Rule No. Every railway servant shall at all times maintain absolute integrity, maintain devotion to duty and do nothing which is unbecoming of a railway servant.

रेलवे सेवा आचरण नियम सं.कहता है कि, हर रेल सेवक हर समय- पूर्ण अखंडता बनाए रखेगा; कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा; तथा ऐसा कुछ भी नहीं करे जो एक रेलवे सेवक को असंतुलित महसूस हो :-

- A. 3 C. 5
B. 4 D. इनमे से कोई नहीं